

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 242.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' पद) भर्ती नियम, 1983 और पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग 'क' भर्ती) नियम 1984, जहां तक वे सांख्यिकीविद् और एक्सटेंशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) के पदों के संबंध में हैं का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग में सांख्यिकीविद् और एक्सटेंशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोक्त परिषद् सचिवालय, शिलांग वर्ग 'क' सांख्यिकीविद् और एक्सटेंशन आफिसर (भूकंप विज्ञान) पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता.—जिसने—

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
1	2	3	4	5	6
1. सांख्यिकीविद्	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	रु. 10000-325-15,200	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति : केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ-राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
- (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या
- (iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित या वाणिज्य या अर्थशास्त्र में (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष
- (ii) सांख्यिकीय आँकड़ों के संकलन, विश्लेषण और निर्वाचन में पांच वर्ष का अनुभव।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो इसकी संरचना क्या है

जिन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं

पद भरने तथा भर्ती त्रियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6
2. एकस्टेंशन ऑफिसर (भूकंप विज्ञापन)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	रु. 8,000-275-13,500	प्रवरण	अधिकतम 35 वर्ष नोट 1 : केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिलनीय। नोट 2 : आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी परन्तु असम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के चंबा लाहौल और स्पीति जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के लिए आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि इससे अलग होगी।

7	8	9	10
नहीं	अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से भौतिक शास्त्र या गणित या भूभौतिकी या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री (ii) भूकंप विज्ञान के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव नोट 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। नोट 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।	लागू नहीं	सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले और प्रोन्नति द्वारा तैनात होने वाले अधिकारियों के लिए एक वर्ष

11

12

प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा। इन दोनों स्थितियों के अभाव में सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति :

ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित वरिष्ठ तकनीकी सहायक

नोट 1 : संशोधित नियमों के अधिसूचित होने की तारीख को फीडर पद पर नियमित रूप से नियुक्त लोगों के लिए सात वर्षों की अर्हता सेवा बनी रहेगी।

नोट 2 : जहां कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपेक्षित योग्यता या अर्हता सेवा पूरी करने के कारण प्रोन्नति के लिए उनके नामों पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे वरिष्ठ अधिकारियों के नामों पर भी विचार किया जाएगा परंतु शर्त यह है उनकी अर्हता सेवा निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति की अर्हता सेवा पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परीक्षा पूरी की हो।

प्रतिनियुक्ति : 1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6,500—10,500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या
(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद आठ वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
(ख) कालम 8 के अंतर्गत विहित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

नोट : -विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —सदस्य |
| 3. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —सदस्य |

वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए)

- | | |
|---|----------|
| 1. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक या उप सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —सदस्य |

पद भरने या इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 242.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong (Group 'A' posts) Recruitment Rules, 1983, and North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' Recruitment Rules, 1984, in so far as they relate to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Statistician and Extension Officer (Seismology) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Group 'A' - Statistician and Extension Officer (Seismology) Post Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number, of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Statistician	01* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 10,000-325-15,200	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7	8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

12

Deputation

Deputation

1. Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories :—

- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13,500 or equivalent in the parent cadre or department; or

- (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) Master's degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or commerce or Economics (with Statistics) of a recognised University or equivalent.
- (ii) Five year's experience in compilation, analysis and interpretation of statistical data.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these recruitment rules.

1	2	3	4	5	6
2. Extension Officer (Seismology)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8,000-275-13,500.	Selection	Not exceeding 35 years. Note 1 : Relaxable for Government Servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.

7	8	9	10
No	Essential : (i) Master's Degree in Physics or Mathematics or Geophysics or Statistics from a recognised University or equivalent; (ii) Three year's experience in the field of Seismology. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	One year for direct recruits and promotees.

11

12

Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment.

Promotion :

Senior Technical Assistant with eight years' regular service in the grade.

Note 1 : The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.

Note 2 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation :

Officers of the Central Government or State Governments or Union Territories :

- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 6500-10500 or equivalent in the parent cadre or department; or
- (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in post in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre/department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

Note : Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age-limit for appointment by deputation or contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.
1. Chairman or Member, UPSC	
2. Secretary, North Eastern Council Secretariat	
3. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat	—Chairman —Member —Member
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :	
1. Secretary, North Eastern Council Secretariat	
2. Director or Deputy Secretary, North Eastern Council Secretariat	—Chairman —Member

[F.No. NEC/ADM/9/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 243.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) भर्ती नियम, 1985 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग (वर्ग "ख" पद) भर्ती नियम, 1986 जहां तक वे सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों के संबंध में हैं, का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आवश्यक बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में अनुसंधान अधिकारी (योजना) और सहायक अनुसंधान अधिकारी के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, अनुसंधान अधिकारी (योजना) (वर्ग "क") और सहायक अनुसंधान अधिकारी (वर्ग "ख") पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. : ी प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता.—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम : पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय है
----------------------------	----------	---------	----------------------------	---

1	2	3	4	5	6
1. अनुसंधान अधिकारी (योजना)	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 8000-275-13500	लागू नहीं	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती से आने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु एवं अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नति के लिए दो वर्ष

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत	यदि भर्ती, प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
--	---

11

12

प्रतिनियुक्ति

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हों:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) या वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव

II. चयन के लिए विभागीय लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय सहायक अनुसंधान अधिकारी पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट : जिन मामलों में अर्हता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अर्हता सेवा, निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति की अर्हता पूरी करने वाले अपने कनिष्ठ अधिकारियों के समान उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए सफलतापूर्वक परीक्षा अवधि पूरी की हो।

(विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः 3 (तीन वर्ष) से अधिक नहीं होगी, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है

किन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

1	2	3	4	5	6
2. सहायक अनुसंधान अधिकारी	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 6500-200-10500	लागू नहीं	लागू नहीं
7	8	9	10		
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		

11

सीधी भर्ती या आमेलन

12

प्रतिनियुक्ति या आमेलन

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी जो :—

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:
- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सांख्यिकी या आपरेशन रिसर्च या गणित या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या समकक्ष।
- (ii) सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, संग्रहण, विश्लेषण और निर्वचन में तीन वर्ष का अनुभव।

[केन्द्र सरकार के उसी संगठन या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 (तीन वर्ष) से अधिक नहीं होगी प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी]।

13

लागू नहीं

14

पद भरने तथा इन भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/9/2003.]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 243.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) Recruitment Rules, 1985 and North Eastern Council Secretariat, Shillong, (Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1986, in so far as they relate to the posts of Assistant Research Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Research Officer (Planning) and Assistant Research Officer in the North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called North Eastern Council Secretariat, Shillong, Research Officer (Planning) (Group 'A') and Assistant Research Officer (Group 'B') posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
1. Research Officer (Planning)	02* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 8000-275-13500	Not applicable	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational qualification required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Two years for Promotees
Method of recruitment: Whether by direct recruit or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods		In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made			
11		12			
Deputation		1. Officers under the Central Government or State Government or Union Territories :—			
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or			
		(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10500 or equivalent in the parent cadre or Department; and			

(b) possessing the following educational qualifications and experience :

(i) Master's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.

(ii) Three years' experience in collection compilation, analysis and interpretation of statistical data.

2. The Departmental Assistant Research Officer with five years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filed by promotion.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their promotion period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

13

14

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

1	2	3	4	5	6
2. Assistant Research Officer	02* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

11	12
Deputation or absorption	Deputation or absorption ; Officers under the Central Government or State Government or Union Territories :— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500—9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree in Statistics or Operations Research or Mathematics or Economics (with Statistics) or Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent. (ii) Two years' experience in collection compilation, analysis and interpretation of statistical data. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 (three) years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).
13	14
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F.No. NEC/ADM/9/2003]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.

शिलांग, 27 जून, 2005

सा.का. नि. 244.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (वर्ग 'क') भर्ती नियम, 1997 और पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग निदेशक (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) और सहायक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 1997, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, इंजीनियर अधिकारी (सिविल) और कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) भर्ती नियम, 2000 जहां तक वे सलाहकार (परिवहन और संचार) और सहायक इंजीनियर (सिविल), इंजीनियर अधिकारी (सिविल)/कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) के पदों के संबंध में है का अधिक्रमण करते हुए परन्तु ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या करने के लिए आस्थगित बातों को छोड़कर राष्ट्रपति एतद्वारा पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) और सहायक इंजीनियर (सिविल) के पदों पर भर्ती को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय, शिलांग, वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' पद भर्ती नियम, 2005 कहा जाएगा।

(2) ये भर्ती नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रवक्त होंगे।

2. लागू होना.—वे नियम, संलग्न अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंधित वेतनमान, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे।

4. भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता आदि.—उक्त पदों की भर्ती प्रणाली, आयु-सीमा, अर्हता तथा उनसे संबंधित अन्य बातें पूर्वोक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी।

5. निरर्हता.—जिसने

(क) किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह किया हो जिसके पति/पत्नी जीवित हों या

(ख) पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी से विवाह किया हो,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होकर ऐसे व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाली स्वीय विधि में इस प्रकार का विवाह अनुज्ञेय है, इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार के मत के अनुसार ऐसा किया जाना आवश्यक और समीचीन है, वहां लिखित रूप में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से केन्द्र सरकार व्यक्तियों के किसी वर्ग और श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा विशेष श्रेणी के अन्य व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद या गैर प्रवरण पद	क्या जोड़े गए सेवा वर्षों के लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत देय हैं
-----------	----------------	----------	---------	-------------------------------	---

भर्ती प्रणाली : सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न प्रणालियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत

यदि भर्ती, प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की जाती है तो वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

11

12

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/वैसा न सकने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ प्रोन्नति :—

1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों के अधिकारी जो :

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 16400—20000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 14300—18300 के वेतनमान के पद या समकक्ष पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;

(ii) पहाड़ी सड़कें बनाने के अनुभव सहित कार्यों सहित सिविल कार्यों को तैयार करने, कार्यान्वित करने और निर्माण करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव

2. चयन के लिए विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट 1 : विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2 : केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति या अनुबंध की अवधि सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है

किन परिस्थितियों में भर्ती के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

लागू नहीं

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

1	2	3	4	5	6
2. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)	01* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 14,300-400-18,300	लागू नहीं	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
11	12		

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/ऐसा न हो सकने की स्थिति में प्रोन्नति द्वारा।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित)/पदोन्नति :—

1. केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो :

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 12000—16500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 10000—15200 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;

(ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सहित सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में बारह वर्ष का अनुभव।

2. चयन के लिए विभागेतर लोगों पर विचार करते समय ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवायुक्त विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) पर भी विचार किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए उनका चयन हो जाने पर पद प्रोन्नति द्वारा भरा समझा जाएगा।

नोट 1 : विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2 : केन्द्र सरकार के उसी संगठन या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

13

लागू नहीं

14

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

1	2	3	4	5	6
3. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल)	03* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'क' राजपत्रित, गैर-अनुसचिवीय	रु. 10,000-325-15,200	प्रवरण	लागू नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रोन्नतों के लिए दो वर्ष
11	12		

33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न हो सकने की स्थिति में अल्पकालिक अनु-बन्ध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा और

प्रोन्नति

(क) ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्रीधारी

66.67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित)/आमेलन द्वारा

(ख) ग्रेड में ग्यारह वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक इंजीनियर (सिविल) तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमाधारी।

नोट : जिन मामलों में अर्हता सेवा पूरी करने वाले कनिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ अधिकारियों की प्रोन्नति पर भी विचार होगा परन्तु शर्त यह है कि उनकी अर्हक सेवा, निर्धारित योग्यता या अर्हता सेवा के आधे या दो वर्ष, जो भी कम हो से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ अधिकारियों के उन्होंने भी अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परीक्षा अवधि पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित)

केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या सांविधिक या स्वायत्त संगठनों के अधिकारी जो—

(क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 8000—13500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हों; या

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 6500—10500 के वेतनमान के पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस ग्रेड में दस वर्ष की सेवा कर चुके हों; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों:

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;

(ii) पहाड़ी सड़कों के निर्माण सहित सिविल कार्य के कार्यान्वयन और निर्माण में पांच वर्ष का अनुभव

नोट 1 : विभागीय अधिकारी जो फीडर कोटि में हैं और जो प्रोन्नति के लिए सीधी लाइन में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

नोट 2 : केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में नियुक्ति के तत्काल पहले अन्य निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबन्ध सहित) या आमेलन द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नोट 3 : केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारी ही आमेलन द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र होंगे।

वर्ग 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए)

14

1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
2. सचिव, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय
3. उप सचिव या निदेशक (प्रशा.), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय

पद भरने तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. सहायक इंजीनियर (सिविल)	02* (2005) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या में अंतर आ सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, वर्ग 'ख', राजपत्रित, गैर-अनुसूचित	रु. 6500-200-10500	लागू नहीं	नहीं

7

8

9

10

35 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य कोटि के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय।)

नोट 1 : आयु निर्धारण की निर्णायक तिथि भारत में उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि होगी परन्तु असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी सब डिवीजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि अलग होगी।

अनिवार्य :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष संस्था से सिविल इंजीनियरी में बैचलर डिग्री;

(ii) सिविल इंजीनियरी कार्य में दो वर्ष का अनुभव

नोट 1 : उम्मीदवारों के अन्यथा सुयोग्य होने पर संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है।

नोट 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को लगता है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।

लागू नहीं

सीधी भर्ती से नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों के लिए दो वर्ष

नोट 2 : रोजगार कार्यालयों के उम्मीदवारों की आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह तिथि होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालयों को नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए।

11

12

सीधी भर्ती

लागू नहीं

नोट : पदधारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों के कारण दूर रहने से एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए हुई रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र सरकार के उन अधिकारियों द्वारा भरा जा सकता है जो :

- (क) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारी हों; या
 (ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में रु. 5500—9000 के वेतनमान वाले पद या समकक्ष पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद तीन वर्ष तक सेवा कर चुके हों; या
 (ख) कालम 8 में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों।

13

14

वर्ग 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार करने के लिए) :

- | | |
|---|----------|
| 1. सविच, पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —अध्यक्ष |
| 2. उप सविच या निदेशक (प्रशासन), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —सदस्य |
| 3. सलाहकार (परिवहन और संचार) या अधीक्षण इंजीनियर (सिविल), पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय | —सदस्य |

पद भरने के लिए तथा भर्ती नियमों के किसी प्रावधान को संशोधित या शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक होगा।

[फा. सं. एनईसी/एडीएम/24/2001]

राजीव माथुर, उप सचिव

Shillong, the 27th June, 2005

G.S.R. 244.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Advisers (Group 'A') Recruitment Rules, 1997, and North Eastern Council Secretariat, Shillong, Director (Science and Technology) and Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 1997, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Engineer Officer (Civil) and Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the posts of Adviser (Transport and Communication) and Assistant Engineer (Civil), Engineer Officer (Civil),/Executive Engineer (Civil) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Adviser (Transport and Communication), Superintending Engineer (Civil), Executive Engineer (Civil) and Assistant Engineer (Civil) in the North Eastern Council Secretariat, Shillong., namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the North Eastern Council Secretariat, Shillong Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall apply to the posts specified in Column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of Post, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

5. **Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Ex-servicemen other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules 1972
--------------	----------------	----------------	--------------	--	--

1	2	3	4	5	6
2. Superintending Engineer (Civil)	01* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 14,300-400-18,300	Not applicable	Not applicable
7		8		9	10
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Not applicable
11			12		
Deputation (including short term contract)/failing which by promotion		Deputation (including short term contract)/promotion : 1. Officers under the Central Government or State Governments or Union			

Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations:—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 12000—16500 or equivalent in the parent cadre or Department; or
- (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 10000—15200 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.
- (ii) Twelve year's experience in execution or construction of civil works including hill roads.

2. The departmental Executive Engineer (Civil) with ten years' regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion.

Note 1 :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 :—Period of deputation or contract including period of deputation/ contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

13			14		
Not applicable			Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.		
1	2	3	4	5	6
3. Executive Engineer (Civil)	03* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 10,000-325-15,200	Selection	Not applicable
7	8	9	10		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years for promotees		

11

33.33 per cent by promotion
failing which by deputation including
short term contract; and
66.67 per cent deputation
(including short-term contract)/absorption

12

Promotion :

- (a) Assistant Engineer (Civil) with eight years' regular service in the grade and possessing Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institute or equivalent.
- (b) Assistant Engineer (Civil) with eleven years' regular service in the grade and possessing three years' Diploma in Civil Engineering from a recognized University/Institute or equivalent.

Note :—Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years' whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation (including short-term contract) :

Officers under the Central Government or State Governments/Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Statutory or Autonomous Organisations :—

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
- (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 8000—13,500 or equivalent in the parent cadre Department; or
- (iii) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 6500—10,500 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience :
- (i) Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognised University or Institute or equivalent.
- (ii) Five years' experience in execution/construction of civil works including hill roads.

Note 1 :—The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2 :—Period of deputation or contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) or absorption shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

Note 3 :—Only officers belonging to Central Government or State Governments or Union Territories shall be eligible for consideration for appointment on absorption.

13

14

**Group 'A' Departmental Promotion Committee
(For considering promotion)**

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Secretary, North Eastern Council Secretariat —Member
3. Deputy Secretary or Director (Administration)
North Eastern Council Secretariat —Member

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

1	2	3	4	5	6
4. Assistant Engineer (Civil)	02* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 6500-200-10500	Not applicable	No

7	8	9	10
35 years. (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those (in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island and the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential : (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) Two years' experience in civil engineering work. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of Candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes. If at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for Direct Recruits

11

12

Direct Recruitment :

Note : Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration

Not applicable

11

of one year or more, may be filled on deputation basis from officers of Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ Department; or
- (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

13

**Group 'B' Departmental Promotion Committee
(For considering confirmation):**

1. Secretary, North Eastern Council Secretariat
2. Deputy Secretary or Director
(Administration), North Eastern Council Secretariat
3. Advisor (Transport and Communication) or
Superintending Engineer (Civil), North
Eastern Council Secretariat

—Chairman

—Member

—Member

14

Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post and for amendment or relaxation of any provision of these Recruitment Rules.

[F.No. NEC/ADM/24/2001]

RAJEEV MATHUR, Dy. Secy.